

प्रेषक,

रवीश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 06 जुलाई, 2018
विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-13/2018/203/18-2-2018-97(ल030)/2016, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित जेम सेल के कार्मिकों का विवरण उनके ई-मेल/मोबाइल नम्बर तथा उन्हें आवंटित विभागों की सूची उपलब्ध कराते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी है कि अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुये जेम पोर्टल से ही आवश्यक सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं अपने विभाग से संबंधित जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की सूचना प्रारूप-1 पर संकलित करते हुये गत माह की 25 तारीख से चालू माह की 24 तक की सूचना प्रारूप-2 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को चालू माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

2- अवगत कराना है कि विभिन्न जनपदों से ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही है कि अभी तक बहुत से विभागों द्वारा जेम के क्रियान्वयन हेतु अपने विभाग/अधीनस्थ मुख्यालय/फील्ड स्तर पर प्रायमरी यूजर्स एवं सेकेण्डरी यूजर्स के रूप अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किये गये हैं, जिससे अपेक्षानुसार जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं तथा जेम पोर्टल पर शासकीय सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति में असमंजस की स्थिति बनी हुयी है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रस्तर-3(3)(viii) में स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि सभी विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थान/निगम आदि में समस्त सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति जेम पोर्टल की नियम एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे। इससे यह सम्भावित है कि कुछ विभागों/कार्यालयों द्वारा जेम पोर्टल के इतर सामग्री क्रय की जा रही हो जो कि शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत है।

3- इसके अतिरिक्त उच्च स्तर पर यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकांश विभागों द्वारा संदर्भगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार प्रायमरी एवं सेकेण्डरी यूजर्स को चिन्हित कर उनका जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रायमरी यूजर्स के सत्यापन का कार्य भी अब तक कई विभागों में नहीं किया गया है।

4- अतः इस संबंध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया संदर्भगत शासनादेशों के अनुसार अपने विभागों में पंजीकृत प्रायमरी एवं सेकेण्डरी यूजर्स की सूची उनके नाम, पद नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिनांक 12 जुलाई, 2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री जी को शीघ्र ही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना है। अतः प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

(रवीश गुप्ता)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यथावांछित सूचना संबंधित विभागों से प्राप्त कर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।